10. G.S.R. 12 dated 19-12-1985
11. G.S.R. 542 dated 26-6-1986
12. G.S.R. 439 dated 27-12-1988
13. G.S.R. 139 dated 16-2-1989
14. G.S.R. 485 dated 20-06-1989
15. G.S.R. 404 dated 30-5-1990
16. G.S.R. 718 dated 25-10-1990
17. G.S.R. 748 dated 19-11-1990
18. G.S.R. 370 dated 15-07-1992
19. G.S.R. 106 dated 28-1-1993
20. G.S.R. 316 dated 20-05-1993
21. G.S.R. 335 dated 1-6-1995

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 27 मई, 1996

सा.का.नि. 246 :– इं.गां.रा.मु.वि. अधिनियम, 1985 की धारा 25(2) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 27-12-95 को हुई अपनी 44वी बैठक में निदेशक से संबंधित संविधि 4 में विद्यमान संविधि 4 के खंड (1) के उप खंड (ii) में निम्नलिखित सम्मिलित कर संशोधन किया है । इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 23-4-96 के पत्र संख्या एफ 5-16/96-यू-1 (डेस्क) द्वारा कुलाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है ।

"बशर्ते कि :

(क) विद्यापीठ का निदेशक, विद्यापीठ के प्रोफेसरों में से कुलपति की सिफारिश पर प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) सिफारिश करते समय विद्यापीठ के विभिन्न विषयों के प्रोफेसरों को बारी-बारी से निदेशक पद देने पर विचार किया जाए ; और

(ग) विद्यापीठ का निदेशक 3 वर्ष तक इस पद पर काम करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा ।"

[आई जी /एडमिशन(जी)/एसटी 4/95]
तिलक आर. कैम, कुल सचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 27th May, 1996

G.S.R. 246.—In exercise of the powers vested with it, under the provisions of Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 the Board of Management of the University, at its 44th meeting held on 27-12-1995 had made an amendment to Statute 4 by adding the following after the existing sub-clause (ii) of Clause (1) of Statute 4 regarding the Directors. This has the approval of the Visitor conveyed vide Ministry of HRD's letter No. F. 5-16/96-U. 1 (Desk) dated 23-4-1996.

"Provided that :—

(a) a Director of a School shall be appointed from among the Professors of the School by the Board of Management on the recommendation of the Vice-Chancellor ;

(b) the rotation of directorship among the disciplines of a School be kept in view while making the recommendation ; and

(c) a Director of a School shall hold Office for a period of three years and that he shall be eligible for reappointment."

[F. No. IG/ADMN(G)/ST.4|95]
TILAK R. KEM, Registrar

भूतल परिवहन मंत्रालय
(सीमा सड़क विकास मंडल)

नई दिल्ली, 20 मई, 1996

सा.का.नि. 247 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल में समूह "ग" और "घ" भर्ती नियम, 1982 में आगामी संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल समूह "ग" और "घ" भर्ती (संशोधित) नियम, 1996 कहे जायेंगे ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे ।